उत्तर प्रदेश शासन
स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन अनुभाग–1
संख्या : **23/2025/**2280/94-1-2025-312(202)/2025
लखनऊ, दिनांक : 01 दिसम्बर, 2025

अधिसूचना

साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (अधिनियम संख्या-10 सन् 1897) की धारा 21 के साथ पठित रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (अधिनियम संख्या 16 सन् 1908) की धारा 5 एवं 7 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके तथा इस निमित्त जारी पूर्ववर्ती अधिसूचनाओं का आंशिक उपान्तर करके राज्यपाल, इस अधिसूचना के सरकारी गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से,-

(1) नीचे अनुसूची **क** और अनुसूची **ख** में दिए गए राजस्व ग्रामों को सम्मिलित करते हुए जिला झांसी में एक नया निबंधन उप-जिला "सदर तृतीय" सृजित करते हैं तथा

(2) नीचे अनुसूची **क** और अनुसूची **ख** में दिए गए राजस्व ग्रामों के क्षेत्रों को अपवर्जित कर जिला झांसी के निबंधन उप-जिला "सदर प्रथम" व "सदर द्वितीय" की सीमाओं में परिवर्तन करते हैं, क्रमशः।

अनुसूची-क

निबन्धन उप जिला ''सदर प्रथम'' जिला झाँसी से अपवर्जित किये गये तथा निबन्धन उप जिला ''सदर तृतीय'' जिला झांसी में सम्मिलित किये गये ग्रामों की सूचीः-

1	अम्बावाय	2	कलौथरा	3	सारमऊ	4	सिमरा

अनुसूची-ख

निबन्धन उप जिला ''सदर द्वितीय'' जिला झाँसी से अपवर्जित किये गये तथा निबन्धन उप जिला ''सदर तृतीय'' जिला झांसी में सम्मिलित किये गये ग्रामों की सूचीः-

1	अमरपुर	2	इमिलिया	3	किल्चवारा बुजुर्ग
4	किल्चवारा खुर्द	5	कोटखेरा	6	खजराहाबुजुर्ग
7	खजराहाखुर्द	8	खैरा	9	गागौनी
10	गुढ़ा	11	गेबरा	12	चमरौआ
13	ढिकौली	14	डोंगरी	15	डोमागोर
16	डंगरवाहा	17	पुनावलीकलां	18	परासई
19	बमेर	20	बाजना	21	बछौनी
22	बदनपुर	23	बसाई	24	वैदोरा
25	वरूआपुरा	26	मुरारी	27	मठ
28	राजापुर	29	रमपुरा		

राज्यपाल अग्रतर निदेश देते हैं कि इस अधिसूचना की किसी बात का प्रभाव, किसी न्यायालय, में जिसने अब तक उक्त क्षेत्रों के सम्बन्ध में अधिकारिता का प्रयोग किया है, पहले से प्रारम्भ की गयी या विचाराधीन किसी विधिक कार्यवाही पर नहीं पड़ेगा।

आज्ञा से,

अमित गुप्ता
प्रमुख सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या-23/2025/2280(1)/94-1-2025-312(202)/2025 दिनांक: 01 दिसम्बर, 2025

प्रतिलिपि- हिंदी एवं अंग्रेजी अधिसूचना की प्रति सहित संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय ऐशबाग, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वह कृपया इसे **दिनांक 01 दिसम्बर, 2025** के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट भाग-4 खण्ड (ख) में अवश्य प्रकाशित करा दें और तत्पश्चात गजट की 100 प्रतियाँ आयुक्त, स्टाम्प उत्तर प्रदेश, लखनऊ को तथा 50 प्रतियाँ शासन के इस विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

सुधीर कुमार
विशेष सचिव।

संख्या-23/2025/2280(2)/94-1-2025-312(202)/2025 दिनांक: 01 दिसम्बर, 2025

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. अवस्थापना एवं औधौगिक विकास आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
2. प्रमुख सचिव, औधौगिक विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
3. प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन।
4. प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य औधौगिक विकास निगम, उ0प्र0 कानपुर।
5. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ0प्र0 लखनऊ।
6. महानिरीक्षक निबन्धन, उ0प्र0 लखनऊ।
7. मण्डलायुक्त, झांसी मण्डल, झांसी।
8. जिलाधिकारी, झांसी।
9. अपर जिलाधिकारी(वि0/रा0), पदेन जिला निबन्धक, झांसी।
10. उप महानिरीक्षक निबन्धन, झांसी मण्डल, झांसी।
11. सहायक महानिरीक्षक निबन्धन, झांसी।
12. विधायी अनुभाग-1
13. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

सुधीर कुमार
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

Uttar Pradesh Shasan
Stamp Evam Registration Anubhag-1

The Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification no. 23/2025/2280/94-1-2025-312(202)/2025 dated 01 December, 2025:

Notification

No. 23/2025/2280/94-1-2025-312(202)/2025
Lucknow; Dated: 01 December, 2025

In exercise of the powers under sections 5 and 7 of the Registration Act, 1908 (Act No. 16 of 1908) read with section 21 of the General Clauses Act, 1897 (Act No. 10 of 1897) and in partial modification of earlier notifications issued in this behalf, the Governor, with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette is pleased to,—

(1) create a new registration sub-district "Sadar Third" in district Jhansi by including the revenue villages given in Schedule A and Schedule B below; and
(2) alter the limits of registration sub-districts "Sadar First" and "Sadar Second" of district Jhansi by excluding the areas of the revenue villages given in Schedule A and Schedule B below, respectively.

Schedule-A

List of villages being excluded from registration sub-district "Sadar First", District Jhansi and being included in registration sub-district "Sadar Third", District Jhansi

1	Ambabai	**2**	Kalothra	**3**	Sarmau	**4**	Simra

Schedule-B

List of villages being excluded from registration sub-district "Sadar Second", District Jhansi and being included in registration sub-district "Sadar Third", District Jhansi

1	Amarpur	2	Imiliya	3	Kilchwara Bujurg
4	Kilchwara Khurd	5	Kotkhera	6	Khajuraha Bujurg
7	Khajuraha Khurd	8	Khaira	9	Gagauni
10	Gurha	11	Gabra	12	Chamaraua
13	Dhikoli	14	Dogri	15	Domagor
16	Dagarwaha	17	Punawali kalan	18	Parasai
19	Bamair	20	Bajna	21	Bachhauni
22	Badanpur	23	Basai	24	Baidora
25	Baruapur	26	Murari	27	Math
28	Rajapur	29	Rampura		

The Governor is further pleased to direct that nothing in this notification shall affect any legal proceeding which has already commenced or is pending in any Court of law which has hitherto exercised jurisdiction in respect of the said areas.

By order,

Amit Gupta
Pramukh Sachiv.

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।